न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 22/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/36)

निर्णय दिनांकः 11.05.2023

1. मोहम्मद अली पुत्र अहमदखाँ जाति मुसलमान निवासी सवाईसर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 18—12—2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री रविराज सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18—12—2003 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील बज्जू में बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु चक 07

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जीएम के मुरब्बा नम्बर 119/44 के किला नम्बर 3 ता 6, 11, 18, 23 ता 25 10 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 19, 20 व 1 ता 10 कुल 12 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार 22 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तमाम जॉच के उपरान्त ही आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट् के पक्ष में किया गया था। फिर भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन बिना सूचना के किसी प्रकार के सबूत पेश नहीं करने के आधार पर अपीलांट के आवंटन को खारिज कर दिया गया।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा दौराने बहस वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को भी आराजीराज दर्ज भूमि है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–12–2003 के विरूद्व अपील दिनांक 11–01–21 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—12—2003 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 11—01—2003 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि चक 07 जीएम के मुरब्बा नम्बर 119/44 के किला नम्बर 3 ता 6, 11, 18, 23 ता 25 10 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 19, 20 व 1 ता 10 कुल 12 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार 22 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत अपीलांट् को दिनांक 22—08—2003 नोटिस जारी किया गया। जिसकी तामीली की सुनिश्चितता भी अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किये बिना दिनांक 18—12—2003 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत पेश नहीं करने के अभाव में खारिज कर दिया गया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रार्थी पर विधिवत तामील प्राप्त हुई भी है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से बिना तथ्यों की जॉच व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से एक साईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते। विधि का भी यहं सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत जमाबन्दी तहसील बज्जू ग्राम गोकुल के चक 7 जीएम के मुरब्बा नम्बर 119/44 के अनुसार आराजी जैर आज दिनांक को राजस्व रिकार्ड में आराजी राज दर्ज रिकार्ड भूमि है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–12–2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट की नियमानुसार पात्रता की जांच करते हुए एवं अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों जॉच करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 11/5/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11/5/2023

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर